सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2018 (राजस्व अपील)
RCMS NO. 2018/00001

**अनवान**

1. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला–उदयपुर।

–प्रार्थी / अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्री रतनलाल पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
2. श्री पवन पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
3. श्री प्रकाश पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
4. श्री रमेश पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
5. श्रीमती अम्बावी पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
6. श्रीमती अनकी पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
7. श्रीमती मीरकी पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
8. श्रीमती समुरी पिता परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।
9. श्रीमती मोगली बेवा परथा गमेती, निवासी काड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला–उदयपुर।

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट

**उपस्थित**

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।
2. विपक्षी संख्या 1 से 9

**अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**
**अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 398 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल आदेश दिनांक 01.06.15**

## * निर्णय *

दिनांक– 22-02-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट तहसीलदार झाड़ोल ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का काड़ा द्वारा दिनांक 15.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार झाड़ोल के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्ष 2015 मे राजस्व अभियान शिविर न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत काड़ा मे दिनांक 01.06.2015 को ग्राम काड़ा की जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 88, 89 एवं 90 पर दर्ज खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती के बजाय विरासत से नामान्तरकरण संख्या 398 निर्णय तहसीलदार झाडोल, दिनांक 01.06.2015 से विपक्षीगण के नाम से दर्ज हुआ, जिसका अमल दरामद होकर आगामी रोटेशन जमाबंदी संवत् 2072–75 मे क्रमशः खाता संख्या 146, 147 एवं 148 कायम हुए। उपर्युक्त दर्ज नामान्तरकरण संख्या 398 मे खाता संख्या 88, 89 व 90 पर दर्ज खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती सा.देह खातेदार नाम एक ही होने से तीनो खातों का एक ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जबकि

खाता संख्या 88 व 89 पर दर्ज खातेदार एक ही व्यक्ति होकर मृत है तथा विरासत से दर्ज वारिसान के नाम सही हैं, किन्तु खाता संख्या 90 पर दर्ज खातेदार अलग होकर वर्तमान मे जीवित है, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का काड़ा को अभी उनके द्वारा कुंए पर विद्युत कनेक्शन के संबंध मे मौका कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुई। अतः प्रकरण मे जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 90 एवं जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 148 मे नामान्तरकरण संख्या 398 से पूर्व की स्थिति कायम कर तत्समय खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती का नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक होने से ग्राम काड़ा का नामान्तरकरण संख्या 398 का निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि ग्राम काड़ा का नामान्तरकरण संख्या 398 को निरस्त कर पूर्ववत स्थिति कायम करायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा उपस्थित हो अपना जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वर्ष 2015 मे राजस्व अभियान शिविर न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत काड़ा, तहसील झाड़ोल मे दिनांक 01.06.2015 को ग्राम काड़ा की जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 88, 89 व 90 पर दर्ज खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती के बजाय विरासत से नामान्तरकरण संख्या 398 निर्णय तहसीलदार झाड़ोल दिनांक 01.06.2015 से विपक्षीगण के नाम से दर्ज हुआ, जिसका अमल दरामद हो आगामी रोटेशन जमाबंदी संवत् मे क्रमशः खाता संख्या 146, 147 व 148 बने हैं। नामान्तरकरण संख्या 398 मे दर्ज खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती सा.देह. खातेदार नाम एक होने से तीनो खातेदार का एक ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जबकि खाता संख्या 88 व 89 पर दर्ज खातेदार एक ही व्यक्ति होकर मृत है तथा विरासत से दर्ज वारिसान के नमा सही है, किन्तु खाता संख्या 90 पर दर्ज खातेदार अलग अलग व्यक्ति हो वर्तमान मे जीवित हैं। अतः जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 90 व जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 148 मे नामन्तरकरण संख्या 398 से पूर्व की स्थिति कायम कर तत्समय खातेदार श्री परथा पितादेवा गमेती के नाम दर्ज किया जावें। यदि नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है तो हमे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट का जवाब प्राप्त होने पर सलंग्न पत्रावली किया गया एवं प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 से 9, पटवारी हल्का काड़ा एवं सरपंच ग्राम पंचायत काड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 1 से 9 की पटवारी हल्का काड़ा एवं ग्राम पचांयत काड़ा के सरपंच द्वारा पहचान की गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 90 के संबंध मे खोले गये उक्त नामान्तरकरण संख्या 398 को निरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब एवं पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण ग्राम काड़ा, तहसील झाड़ोल की जमाबंदी संवत्

2068—71 के खाता संख्या 90 के संबंध मे खोले गये नामान्तरकरण संख्या 398 को निरस्त करने से संबंधित है। ग्राम काड़ा मे जमाबंदी संवत् 2068—71 मे खाता संख्या 88, 89 व 90 पर दर्ज खातेदार श्री परथा पिता देवा गमेती सा.देह खातेदार का नाम एक समान होने से विरासत से तीनो खातो का एक ही नामान्तरकरण जरिये नामान्तकरण संख्या 398 दर्ज कर दिया गया, जबकि खाता संख्या 88 व 89 पर दर्ज खातेदार एक ही व्यक्ति हो मृत है, जिसका विरासत से दर्ज वारिसान के नाम सही है, किन्तु खाता संख्या 90 पर दर्ज खातेदार अलग व्यक्ति हो वर्तमान मे जीवित है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या विपक्षीगण के पक्ष मे खाता संख्या 90 का खोला गया नामान्तरकरण सहवन से त्रुटिवश खोला जाना जाहिर आया है। विपक्षीगण द्वारा भी आराजी संख्या 90 के संबंध मे खोला गया नामान्तकरण निरस्त किये जाने मे कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की हैं। पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत काड़ा द्वारा भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया हैं। ऐसी स्थिति मे ग्राम काड़ा, तहसील झाड़ोल के खाता संख्या 90 के संबंध मे खोले गये नामान्तरकरण संख्या 398 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झाड़ोल के नामान्तकरण संख्या 398 दिनांक 01.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा खाता संख्या 90 के नामान्तरकरण के संबंध मे पूर्ववत स्थिति कायम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(छोगाराम देवासी)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**